<u> 2005 का अधिनियम 29</u>

[ दि प्राइवेट सेक्यूरिटी एजेन्सीज (रेगूलेशन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी अनुवाद ]

# प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों और तत्संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमितः-

2005	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, है।	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ
	(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा।	
	(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत	
करे।		
	2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-	परिभाषाएं
	(क) "कवचित कार सेवा" से सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा कवचित कर के साथ	
	प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं जो समय-समय पर यथास्थिति, केन्द्रीय	
	सरकार यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेंगी, अभिप्रेत है।	

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज़प्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज़प्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "प्राइवेट सुरक्षा" से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों का संरक्षण या रक्षा करने के लिए, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कवचित कार सेवा का उपबंध भी है ;

(छ) "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण्" से किसी औद्योगिक या व्यवसाय उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अन्तर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शस्त्र सहित या उनके बिना किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और इसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है ;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है :

नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति ।

D

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

NA CONTRACTOR

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

4. कोई व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तब तक न तो करेगा और न प्रारंभ करेगा जब तक कि उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति न हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अवधि के श्रीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक ऐसा कारबार करता रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी की, जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा, की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना विदेश में प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं प्रदान नहीं करेगा ।

पाइवेट सुस्ता अगिकरण द्वारा अगुजस्ति के बिना प्राइवेट सुस्ता गार्ड न रखना या उपलब्ध न कर्राताः।

या

व्यक्तियां

5. इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववृत्त सम्यक् से सत्यापित करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा ।

3

6. (1) किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि वह :--

(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण है) किसी अपराध का सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुनमोचित दिवालिया भी है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है ; या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से संपर्क रखता है जिसे उनके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है जो राष्ट्रीय सुखा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है या ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुखा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ; या

(घ) अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुच्चप्ति जारी करने के लिए किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है।

7. (1) किसी प्राइवेट सुख्सा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) आवेदक घारा 6 में अतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, धारा 9 के उपबंध (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, है, धारा, 11 अधीन पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ -

(क) यदि प्राइवेट सुंख्सा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी;

(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किन्तु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी; और

(ग) यदि संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और पुलिस प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करते हुए लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित पात्रता ।

अनुज्ञप्ति के लिए

अनुज़प्ति के लिए अपात्र व्यक्ति ।

अनुझप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आदेदन । फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुअच्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा : परंतु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएमा जब तक कि –

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; ओर

(ख) आदेश में वे आधार जिन पर अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाता है, वर्णित न किए गए हों ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति-

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता;

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फ़ीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी: और

(ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाएगा जो विहित की जाएँ 1

8. (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 1 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे 1

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अन्दर आदेश पारित करेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु यह कि आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ।

9. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर, अपने कार्यकलाप प्रारंभ करेगा ।

(2) प्रत्येक प्राइवेट सुख्सा अभिकरण. अपने सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्षेकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किया जाए, देना सुनिश्चित करेगा :

परन्तु इस अधिनियम को प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ की तारोख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गाडौं और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षणा सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख स साठ दिन के भीतर, ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगा ।

(4) कोई प्राइवेट सुख्सा अभिकरण सुपरवाइजर के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा या नहीं रखेगा जब तक कि वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता ।

वालन प्रारभ रूते के लिए हिर पर्यवेक्षकों की तेयुक्ति की

अनुज्ञप्ति

नवीकरण ।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण उस व्यक्ति को जिसके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड में तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, वरीयता देगा ।

5

10. (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा या नहीं रखेगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक न हो जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने अट्वारह वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;

(ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, समाधान न कर दिया हो;

(घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ;

(ङ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा न करता हो जो विहित किए जाएं ; और

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा न करता हो ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सज़ास्त्र बल, राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दे सकेगा जिसने निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है :---

(i) सेना ;

(ii) नौसेना ;

(iii) वायुसेना;

(iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल;

(v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी हैं ; और

(vi) होमगार्ड ।

11. (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुझप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में वह अपेक्षाएं, जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुझप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों जिससे अभिकरण बना है, का ब्यौरा, उन सूचनाओं के विषय में बाध्यताएं जो नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर, अपने पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन और उनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड नियोजित या नियुक्त किए जाने पर उनके विरुद्ध ऐसे किसी दाण्डिक आरोप के संबंध में भी जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को दिए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पत्रता ।

*.* 

अनुज्ञप्ति

হার্নি ।

की

# गए कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में या यथास्थिति अंतर्गत होगी ।

(2) राज्य सरकार नियमों में, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, की अनुज्ञप्ति की निरन्तरता या अन्यथा का पुनर्विलोकन के संबंध में उपबंध कर सकेगी ।

12. प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के सहजदृश्य स्थान पर अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति को प्रदर्शित करेगा ।

13. (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) कि अनुइप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञजिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया

(ग) कि अनुज्ञातिधारी ने इस अधिनियम के उपबंधों का या इसके अधीन बनाए गए नियमों का या अनुज्ञाति की किसी शर्त का उल्लंघन किया है;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या व्यवसायिक उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राइवेट सुख्सा अभिकरण के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरूपयोग किया है;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी लेटरहेड, विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है:

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए अनुज्ञा दे रहा है या उसकी सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है;

(छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने कार्यकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था ;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में स्वेच्छया असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है;

(झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के उल्लंघन में है या वह ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है ;

(ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे,

जाना । अनुङ्कपि का रद्द

और निलंबन ।

ठिया

है;

अनुइप्ति

ਸ਼ਟਇੰਗ

6)

उल्लंघन किया है ;

(ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड :--

(i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे;

(ii) ने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके भाग का दुरूपयोजन किया है जिसकी संख्या करने की उनसे प्रत्याशा की जाती है ;

(iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाये गए थे ;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाये गए थे; या

(v) ने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमति दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था ।

(ठ) कि अनुज्ञप्ति धारक ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की हो या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का. ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुइप्ति के रहकरण के प्रश्न के लंबित रहते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुइप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुइप्तिधारी से ऐसे आदेश के जारी किए-जाने की तारीख से पंद्रह दिन के मीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सुकेगा कि अनुझप्ति का निलंबन, रहकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तुरित कर दिया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रदकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रदकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

अपील ।

14. (1) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इंकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण है।

8

होगी । (3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

15. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें--

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते अंतर्विष्ट होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं ; (ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते. फोटोग्राफ और वेतन अंतर्विष्ट होंगे ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते अंतर्विष्ट होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए हैं ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टताएं अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ।

16. नियंत्रक प्राधिकारी या उत्तके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुइाप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का चिरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा ।

17. (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

18. (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जा सकेगा या नियुक्ति किया गया है या रखा गया है, नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या किसी ऐसे रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजक निदेश दे, किसी कार्य के संबंध में ऐसे नियोजन के दौरान किसी कर्मचारी दारा अर्जित कोई जानकारी नहीं देगा जो ऐसे कर्मचारी को ऐसे नियोजक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को जो ऐसे अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया

आदि

अनुज्ञप्ति

का निरीक्षण ।

6)

गड़वेट

ाभिकरण

ताना ।

जिस्टर का रखा

सुरक्षा

द्वारा

फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना ।

्रभ्राधिकृत

जनिकारी

कटन

व्यक्ति

की

का

.

में आवश्यक सहायता देंगे ।

-----

ومقاطعها الأربار مرقعا فتكرمهم فالمراجين والمراجع المردون والمراجع

(3) यदि किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी विधि का अतिक्रमण जानकारी में आता है तो वह इसे अपने पर्यवेक्षक की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को सूचित करेगा ।

19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का --

(क) जिसका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा, या

(ख) जिसका इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विहित की जाएं, संस्कार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयोग और पालन किया जा सकेगा।

20. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा. कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9. धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

21. यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुरोना, नौसेना, या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी से सुभिन्न हो या उस पर सुभिन्न चिन्ह लगे हुए हों, तो वह और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सुकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

22. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की संहमति या मौनानुकूलता से किया गया है ये उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तुद्रनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और कतिपय उपबंधों के उल्लंधन कें लिए दंड ।

कतिपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

कंपनियों द्वारा अपराव दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ''कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

23. इस अधिनियम के अधीन सद्मावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उस नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

24. केन्द्रीय सरकार, समस्त या किसी विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में भी नियम विरचित कर सकेगी और जहां किसी ऐसे विषय के संबंध में कोई ऐसे आदर्श नियम विरचित किए जा चुके हैं वहां राज्य सरकार धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय यथासाध्य ऐसे नियमों की पुष्टि करेंगी ।

25. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया या और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या क्रिन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :---

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन चरित्र और पूर्व वृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार ; धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन शारीरिक मानदण्ड और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अन्य शर्त ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुइप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्ते जिनके अधीन रहते हुए घारा 11 के अधीन अनुइप्ति अनुदत्त की जाएगी;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप;

.

त्तंच्क्षण ।

 $\bigcirc$ 

राज्यों द्वारा क्रंगीकार के लिए आवर्श नियमों की विरचना ।

राज्य सरकार की नियन बनाने की जक्ति । (च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अपील करने के लिए प्ररूप ; (छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्याचित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

# अनुसूची

# [धारा 13(1)(ञ) देखिए]

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)।

(5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) ।

(6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) ।

(8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) ।

(9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)

.

अधिनियम, 1979 (1979 का 30) ।

# THE PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION) ACT, 2005

# INTRODUCTION

In the recent years there has been a tremendous increase in the number of business establishments and due to this demand for security has increased. The growing tendency to hire security guards from private sources by the industrial or business undertakings has led to coming up of large number of private security agencies all over the country. These private security agencies have helped in meeting the security needs of business establishment but the manner in which they function has become a matter of great concern. Many of these agencies conduct their operations without due care for verifying the antecedents of the personnel employed as private security guards and supervisors. Certain private multi-national security agencies have also established their branches in the country, which unless properly regulated may have serious security implications. In many instances, personnel employed by these agencies have also been involved in criminal activities. In order to regulate the functioning of these private security agencies the Private Security Agencies (Regulation) Bill was introduced in the Parliament.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to increase in the number of business establishments and increasing demands for security, there has been a proliferation of private security agencies in the recent years. The growing tendency to hire security guards from private sources by industrial or business undertakings has led to coming up of large number of private security agencies all over the country. Though these private security agencies have helped in meeting the security needs of business establishments, there has been a growing concern about the manner of functioning of these agencies, many of which seem to conduct their operations without due care for verifying the antecedents of the personnel employed as private security guards and supervisors.

2. Private multi-national security agencies have also established their branches in the country, which unless properly regulated, may have serious security implications. Unless suitable safeguards are devised, these developments are likely to have wide ranging security implications, which may not be in national interest. There is also a danger of the employees of the private security agencies encroaching upon the duties of the police, using weapons in an illegal manner and wearing uniforms which resemble those of the police. In many instances, personnel employed by these agencies have also been involved in criminal activities.

3. For all these reasons, Union Government has been considering to regulate the functioning of these private security agencies, so that they are run within legal parameters and are accountable to a regulatory mechanism. In view of above, it is proposed to regulate the private security agencies through an Act which provides for a Controlling Authority to be appointed by the State Governments for the purpose of granting licences and also to make holding of licences mandatory for the carrying on of business of security agencies and other related matters.

4. The Bill seeks to achieve the above objects.

## ACT 29 OF 2005

The Private Security Agencies (Regulation) Bill having been passed by both the Houses of Parliament received the assent of the President on 23rd June, 2005. It came on the Statute Book as THE PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION) ACT, 2005 (29 of 2005) (*Came into force on 15-3-2006*).

# THE PRIVATE SECURITY AGENCIES (REGULATION) ACT, 2005

# (29 of 2005)

[23rd June, 2005]

An Act to provide for the regulation of private security agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1.** Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date<sup>1</sup> as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "armoured car service" means the service provided by deployment of armed guards along with armoured car and such other related services which may be notified by the Central Government or as the case may be, the State Government from time to time;
- (b) "Controlling Authority" means the Controlling Authority appointed under sub-section (1) of section 3;
- (c) "licence" means a licence granted under sub-section (5) of section 7;
- (d) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (f) "private security" means security provided by a person, other than a public servant, to protect or guard any person or property or both and includes provision of armoured car service;
- (g) "private security agency" means a person or body of persons other than a government agency, department or organisation engaged in the business of providing private security services including training to private security guards or their supervisor or providing private security guards to any industrial or business undertaking or a company or any other person or property;
- (h) "private security guard" means a person providing private security with or without arms to another person or property or both and includes a supervisor;
- (i) "State Government", in relation to a Union territory, includes the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution.

**3.** Appointment of Controlling Authority.—(1) The State Government shall by notification, designate an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Home Department of the State or an equivalent officer to be the Controlling Authority, for the purposes of this Act.

<sup>1.</sup> Came into force on 15-3-2006, vide S.O. 317(E), dated 14th March, 2006.

Sec. 61

(2) The State Government may, for efficient discharge of functions by the Controlling Authority, provide it with such other officers and staff as that Government considers necessary.

# COMMENTS

The State Government shall have to designate an officer of the rank of Joint Secretary in the Home Department of the State or an equivalent officer to be the Controlling Authority.

4. Persons or Private Security Agency not to engage or provide private security guard without licence.—No person shall carry on or commence the business of private security agency, unless he holds a licence issued under this Act:

Provided that the person carrying on the business of private security agency, immediately before the commencement of this Act, may continue to do so for a period of one year from the date of such commencement and if he has made an application for such licence within the said period of one year, till the disposal of such application:

Provided further that no private security agency shall provide private security abroad without obtaining permission of the Controlling Authority, which shall consult the Central Government before according such permission.

# COMMENTS

No person can carry on or commence the business of private security agency without obtaining a licence for this purpose. The person already carrying on the business of private security agency shall have to obtain a licence within one year. No private security agency can provide security abroad without obtaining permission of the Controlling Authority.

**5. Eligibility for licence.**—An application for issue of a licence under this Act shall only be considered from a person after due verification of his antecedents.

6. Persons not eligible for licence.—(1) A person shall not be considered for issue of a licence under this Act, if he has been—

- (a) convicted of an offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the company), including, an undischarged insolvent; or
- (b) convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years; or
- (c) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order or there is information about such a person indulging in activities which are prejudicial to national security or public order; or
- (d) dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.

(2) A company, firm or an association of persons shall not be considered for issue of a licence under this Act, if, it is not registered in India, or having a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.

# COMMENTS

No person can get a licence if he (i) has been convicted of an offence in connection with promotion, formation or management of a company, (ii) in undischarged insolvent; (iii) has been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years; (iv) has links with any organisation or association which is banned under any law; (v) has been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.

7. Application for grant of licence.—(1) An application for grant of licence to a private security agency shall be made to the Controlling Authority in such form as may be prescribed.

(2) The applicant shall submit an affidavit incorporating the details in relation to the provisions contained in section 6, ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-section (2) of section 9, fulfilment of conditions under section 11 and of cases registered with police or pending in a court of law involving the applicant.

(3) Every application under sub-section (1) shall be accompanied by a fee of—

- (a) rupees five thousand if the private security agency is operating in one district of a State;
- (b) rupees ten thousand if the agency is operating in more than one but up to five districts of a State; and
- (c) rupees twenty-five thousand if it is operating in the whole State.

(4) On receipt of an application under sub-section (1), the Controlling Authority may, after making such inquiries as it considers necessary and obtaining no objection certificate from the concerned police authority, by order in writing, either grant a licence or refuse to grant the same within a period of sixty days from the date of receipt of application with complete particulars and the prescribed fee:

Provided that no order of refusal shall be made unless-

- (a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and
- (b) the grounds on which licence is refused is mentioned in the order.

(5) A licence granted under this section-

- (a) shall be valid for a period of five years unless the same is cancelled under sub-section (1) of section 13;
- (b) may be renewed from time to time after the expiry of five years, for a further period of five years on payment of such fee as may be prescribed; and
- (c) shall be subject to such conditions as may be prescribed.

# COMMENTS

Application for grant of licence for running a private security agency is to be made to the Controlling Authority in the prescribed form with an affidavit incorporating the details in relation to the provisions of section 6, etc. The application shall be accompanied by a fee of (i) rupees five thousand if the private agency is operating in one district of a State; (ii) rupees ten thousand if the agency is operating in more than one but upto five Sec. 10]

districts of a State and (iii) rupees twenty-five thousand if it is operating in the whole State. The licence granted shall be valid for a period of five years.

**8.** Renewal of licence.—(1) An application for renewal of licence shall be made to the Controlling Authority, not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof, in such form as may be prescribed and shall be accompanied by the requisite fee and other documents required under sections 6, 7 and 11 of this Act.

(2) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Controlling Authority may, after making such inquiries as he considers necessary and by order in writing, renew the licence or refuse to renew the same:

Provided that no order of refusal shall be made except after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

9. Conditions for commencement of operation and engagement of supervisors.—(1) Every private security agency shall, within six months of obtaining the licence, commence its activities.

(2) Every private security agency shall ensure imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as may be prescribed:

Provided that the person carrying on the business of private security agency, before the commencement of this Act, shall ensure the required training to its security guards and supervisors within a period of one year from the date of such commencement.

(3) Every private security agency shall, within sixty days from the date of issue of the licence, employ such number of supervisors, as may be prescribed.

(4) A private security agency shall not employ or engage a person as a supervisor unless he fulfils the conditions specified in sub-section (1) of section 10.

(5) While engaging a supervisor of private security guards, every private security agency shall give preference to a person who has experience of serving in the Army, Navy, Air Force, any other Armed forces of the Union or State Police including armed constabularies and Home Guards for a period of not less than three years.

## COMMENTS

Every private security agency shall have to commence its activities within six months of obtaining the licence and shall have to impart prescribed training and skills to its private security guards and supervisors. Any private security agency, which is already carrying on the business before the commencement of this Act, shall have to ensure the required training within a period of one year from the date of the commencement of the Act.

**10. Eligibility to be a private security guard.**—(1) A private security agency shall not employ or engage any person as a private security guard unless he—

(a) is a citizen of India or a citizen of such other country as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;

- (b) has completed eighteen years of age but has not attained the age of sixty-five years;
- (c) satisfies the agency about his character and antecedents in such manner as may be prescribed;
- (d) has completed the prescribed security training successfully;
- (e) fulfils such physical standards as may be prescribed; and
- (f) satisfies such other conditions as may be prescribed.

(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor.

(3) Every private security agency may, while employing a person as a private security guard, give preference to a person who has served as a member in one or more of the following, namely:—

- (i) Army;
- (ii) Navy;
- (iii) Air Force;
- (iv) any other armed forces of the Union;
- (v) Police, including armed constabularies of States; and
- (vi) Home Guards.

# COMMENTS

No person can be employed as a private security guard unless he (i) is a citizen of India, (ii) has completed eighteen years of age but has not attained the age of sixty-five years, (iii) satisfies the agency about his character and antecedents, (iv) has completed the prescribed security training, (v) fulfils prescribed physical standards. No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency can be employed or engaged as a private security guard or a supervisor.

11. Conditions of licence.—(1) The State Government may frame rules to prescribe the conditions on which licence shall be granted under this Act and such conditions shall include requirements as to the training which the licensee is to undergo, details of the person or persons forming the agency, obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management and also about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.

(2) The State Government may make provision in the rules to verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 and to review continuation or otherwise of licence of such private security agency which may not have adhered to the condition of ensuring the required training.

[Sec. 10

**12.** Licence to be exhibited.—Every private security agency shall exhibit its licence or copy thereof in a conspicuous place of its business.

13. Cancellation and suspension of licence.—(1) The Controlling Authority may cancel any licence on any one or more of the following grounds, namely:—

- (a) that the licence has been obtained on misrepresentation or suppression of material facts;
- (b) that the licence holder has used false documents or photographs;
- (c) that the licence holder has violated the provisions of this Act or the rules made thereunder or any of the conditions of the licence;
  - (d) that the licence holder has misused information obtained by him during the discharge of his duties as the private security agency to any industrial or business undertaking or a company or any other person;
  - (e) that the licence holder by using any letter-head, advertisement or any other printed matter or in any other manner represented that the private security agency is an instrumentality of the Government or such agency is or has been using a name different from that for which licence has been granted;
  - (f) that the licence holder is or has been impersonating or permitting or aiding or abetting any body to impersonate as a public servant;
  - (g) that the private security agency had failed to commence its activities or to engage a supervisor within the specified time period;
  - (h) that the licence holder is or has wilfully failed or refused to render the services agreed to any person;
- (i) that the licence holder has done any act which is in violation of a court order or an order of a lawful authority or is or has been advising, encouraging or assisting any person to violate any such order;
  - (j) that the licence holder has violated the provisions of the Acts given in the Schedule which may be modified by the Central Government, by notification in the Official Gazette;
- (k) that there have been repeated instances when the private security guard or guards provided by the private security agency—
  - (i) failed to provide private security or were guilty of gross negligence in not providing such security;
  - (ii) committed a breach of trust or misappropriated the property or a part thereof which they were supposed to protect;
  - (iii) were found habitually drunk or indisciplined;
  - (iv) were found to be involved in committing crimes; or
  - (v) had connived or abetted a crime against the person or property placed under their charge; or
- (l) that the licence holder has done any act which poses a threat to national security, or did not provide assistance to the police or other authority in the discharge of its duties or acted in a manner prejudicial to national security or public order or law and order.

(2) Where the Controlling Authority, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that pending the question of cancelling of licence on any of the grounds mentioned in sub-section (1) above, it is necessary to do so, that Controlling Authority may, by order in writing, suspend the operation of the licence for such period not exceeding thirty days as may be specified in the order and require the licence holder to show cause, within fifteen days from the date of issue of such order, as to why the suspension of the licence should not be extended till the determination of the question of cancellation.

(3) Every order of suspending or cancelling of a licence shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension or cancellation and a copy thereof shall be communicated to the person affected.

(4) No order of cancellation of licence under sub-section (1) shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

14. Appeals.—(1) Any person aggrieved by an order of the Controlling Authority refusing the licence under sub-section (4) of section 7 or renewal under sub-section (3) of section 8 or order of suspension of licence under sub-section (2) of section 13 or cancellation of licence under sub-section (1) of that section, may prefer an appeal against that order to the Home Secretary of the State Government within a period of sixty days of the date of such order:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of sixty days if the appellant satisfies the State Government that he has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) Every appeal under sub-section (1) shall be made in such form as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(3) Before disposing of an appeal, the State Government shall give the appellant a reasonable opportunity of being heard.

**15.** Register to be maintained by a private security agency.—(1) Every private security agency shall maintain a register containing—

- (a) the names and addresses of the persons managing the private security agency;
- (b) the names, addresses, photographs and salaries of the private security guards and supervisors under its control;
- (c) the names and addresses of the persons whom it had provided private security guards or services; and
- (d) such other particulars as may be prescribed.

(2) The Controlling Authority may call for such information as it considers necessary from any private security agency, supervisor or private security guard to ensure due compliance of the Act.

### COMMENTS

Every private security agency shall have to maintain a register containing (i) names and addresses of the persons managing the agency, (ii) names, addresses, photographs and salaries of the private security guards and supervisors, (iii) names and addresses of the persons whom it had provided private security guards or services.

8

16. Inspection of licence, etc.—The Controlling Authority or any other officer authorised by it in this behalf may at any reasonable time, enter the premises of the private security agency and inspect and examine the place of business, the records, accounts and other documents connected with the licence and may take copy of any document.

**17. Issue of photo identity card.**—(1) Every private security guard shall be issued a photo identity card, by the private security agency employing or engaging the guard.

(2) The photo identity card under sub-section (1) shall be issued in such form as may be prescribed.

(3) Every private security guard or supervisor shall carry on his person the photo identity card issued under sub-section (1) and shall produce it on demand for inspection by the Controlling Authority or any other officer authorised by it in this behalf.

18. Disclosure of information to unauthorized person.—(1) Any person who may be or has been employed or engaged as a private security guard by the private security agency shall not divulge to anyone other than the employer, or in such manner and to such person as the employer directs, any information acquired by him during such employment with respect to the work which he has been assigned by such employer, except such disclosure as may be required under this Act or in connection with any inquiry or investigation by the police or as may be required by an authority or process of law.

(2) All private security guards of a private security agency shall render necessary assistance to the police or to such authority in the process of any investigation pertaining to the activities of that agency.

(3) If violation of any law is noticed by any private security guard during the course of discharge of his duties, he shall bring it to the notice of his superior, who in turn shall inform the police either through his employer or agency or on his own.

**19. Delegation.**—The State Government may, by notification, direct that any power or function (except the powers to make rules under section 25)—

(a) which may be exercised or performed by it, or

(b) which may be exercised or performed by the Controlling Authority, under this Act, may, in relation to such matter and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be also exercised or performed by

such officer or authority subordinate to the Government or officer subordinate to the Controlling Authority, as may be specified in such notification.

**20.** Punishment for contravention of certain provisions.—(1) Any person who contravenes the provisions of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

(2) Any person or private security agency who contravenes, the provisions of sections 9, 10 and 12 of the Act, shall be punishable with a fine which may extend to twenty-five thousand rupees, in addition to suspension or cancellation of the licence.

#### COMMENTS

Contravention of provisions of section 4 (not obtaining a licence) is punishable with imprisonment upto one year, or with fine upto twenty-five thousand rupees, or with both. Contravention of provisions of section 9 (relating to operation and engagement of supervisors), section 10 (eligibility to be a private security guard), and section 12 (relating to exhibition of licence) is punishable with fine upto twenty-five thousand rupees, in addition to suspension or cancellation of the licence.

**21. Penalty for unauthorized use of certain uniforms.**—If any private security guard or supervisor wears the uniform of the Army, Air force, Navy or any other armed forces of the Union or Police or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform, he and the proprietor of the private security agency shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

22. Offences by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section—

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

**23.** Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Controlling authority or any other officer authorised by it in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act.

24. Framing of model rules for adoption by States.—The Central Government may, frame model rules in respect of all or any of the matters with respect to which the State Government may make rules under this Act, and where any such model rules have been framed the State Government shall, while making any rules in respect of that matter under section 25, so far as is practicable, conform to such model rules.

**25.** Power of State Government to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the procedure for verification of character and antecedents under clause (c) of sub-section (1) of section 10; the type of training under clause (d) of sub-section (1) of section 10; the physical standard under clause (e) of sub-section (1) of section 10; and other conditions under clause (f) of sub-section (1) of section 10;
- (b) the number of supervisors to be employed under sub-section (3) of section 9;
- (c) the form of an application for grant of licence under sub-section (1) of section 7;
- (d) the form in which the licence to be granted under sub-section (4) of section 7 and conditions subject to which such licence to be granted under section 11;
- (e) the form of an application for renewal of licence under sub-section (1) of section 8;
- (f) the form under sub-section (2) of section 14 for preferring an appeal;
- (g) particulars to be maintained in a register under sub-section (1) of section 15;
- (h) the form in which photo identity card under sub-section (2) of section 17 be issued;
- (i) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

(4) In respect of Union territories, every rule made to carry out the provisions of the Act shall be laid before each House of Parliament and where there exists a Legislative Assembly, before that Assembly.

#### THE SCHEDULE

## [See section 13(1)(j)]

- (1) The Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).
- (2) The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).
- (3) The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).
- (4) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).
- (5) The Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965).
- (6) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970).
- (7) The Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).
- (8) The Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976).
- (9) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979).